

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p align="center"><b>DELHI JAL BOARD: GOVT. OF NCT OF DELHI</b><br/> <b>OFFICE OF DIRECTOR (A &amp; P)/Parliament Cell</b><br/> <b>VARUNALAYA PHASE-II</b><br/> <b>KAROL BAGH, NEW DELHI-110005</b><br/> <b>PHONE:- 011-23544794</b><br/> <b>E-mail:- djbdirector@gmail.com</b></p> |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

DJB/Director (A&P)/VSQ-W-2023/**St.-25/CM-01**

Dated: **19.12.2023**

To

Shri Neeraj Aggarwal  
Dy. Secretary, (Question Branch),  
Delhi Vidhan Sabha Secretariat,  
NCT of Delhi, Old Secretariat, Delhi – 110054.

**Subject:-Vidhan Sabha Starred Question No. 25 raised by Hon'ble MLA Sh. Ajay Mahawar for 18.12.2023.**

Sir,

Please refer to your letter No. F-11(B-1)VII/2020-25/VSS/Ques. Branch/6312 date 07.12.2023 on the above quoted subject.

In this connection I am enclosing herewith the reply of the aforementioned Vidhan Sabha Question in so far as the Delhi Jal Board is concerned.

This issues with the approval of the competent authority.

Encl: As above.

**Director (Admn.& Personnel)**

**Cheshta Yadav, IAS**

निदेशक (प्रशा. एवं कार्मिक)

Director (Admn. & Personnel)

दिल्ली जल बोर्ड, दिल्ली सरकार

Delhi Jal Board, Govt. of NCT of Delhi

Dated: **19.12.2023**

DJB/Director (A&P)/VSQ-W-2023/**St.-25/CM-01**

Copy to:

1. Secretary to Minister of Water, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Secretariat, I.P. Estate, New Delhi – 110002.
2. CEO, Delhi Jal Board.
3. Member (A), Delhi Jal Board.
4. Member (WS.), DJB
5. Member (DR.), DJB
6. Director of Revenue, DJB
7. Director, Directorate of Information & Publicity, Block No. IX, Old Secretariat
8. Office Copy.

**Director (Admn.& Personnel)**

**Cheshta Yadav, IAS**

निदेशक (प्रशा. एवं कार्मिक)

Director (Admn. & Personnel)

दिल्ली जल बोर्ड, दिल्ली सरकार

Delhi Jal Board, Govt. of NCT of Delhi

विभाग का नाम :- दिल्ली जल बोर्ड  
विभाग का पता :- निदेशक (प्रशासनिक एवं कार्मिक)  
करोल बाग, नई दिल्ली

तारांकित प्रश्न संख्या :- 25  
दिनांक :- 18.12.2023  
प्रश्नकर्ता का नाम का नाम :- श्री अजय महावर, विधायक

क्या माननीय जल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

| अ. क्र. | प्रश्न                                                                                                                                                                                | उत्तर                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (क)     | क्या यह सत्य है कि यमुना विहार और घोंडा पैरिफेरियल सीवर लाइन की सफाई लंबे समय से लंबित है जिसके कारण घोंडा विधानसभा के लोग सीवर ओवरफ्लो का दंश झेल रहे हैं;                           | गामड़ी रोड और भजनपुरा बाजार की पेरीफेरल सीवर लाइन की सफाई का काम चल रहा है। इसके अलावा, यमुना विहार/घोंडा पेरीफेरल (तीसरी और चौथी पुस्ता रोड) सीवर लाइन की सफाई के लिए अनुमान प्रक्रिया में हैं।                                                                     |
| (ख)     | इन लाइनों की सफाई कितने समय के अंतराल पर होनी चाहिए;                                                                                                                                  | इन लाइनों की सफाई 05 साल के अंतराल पर होनी चाहिए।                                                                                                                                                                                                                    |
| (ग)     | यमुना विहार सीवर राइजिंग मेन का कार्य कब तक पूर्ण किया जाएगा;                                                                                                                         | 1000 मिमी व्यास और 800 मिमी व्यास के राइजिंग मेन का कार्य 30.06.2024 तक पूरा होने की संभावना है।                                                                                                                                                                     |
| (घ)     | सीवर की सफाई के बाद उसकी गाद जो सड़कों पर बहती रहती है उसके निस्तारण के लिए दिल्ली जलबोर्ड के पास क्या योजना है तथा क्या संसाधन हैं, यदि नहीं, तो उसके लिए सरकार क्या कदम उठा रही है; | डीजेबी रिसाइक्लर/सुपरसुकर और अन्य सीवर सफाई मशीनों को तैनात करके गाद निकालने का काम करता है। गाद को मशीन से जुड़े टैंक/कंटेनर में एकत्र किया जाता है। गाद का निपटान डीजेबी के स्वामित्व वाली भूमि के निचले इलाकों में किया जाता है।                                  |
| (ङ)     | वर्ष 2015 से पहले दिल्ली जलबोर्ड में कितने वाटर ट्रीटमेंट प्लांट थे और उनकी पानी की क्षमता कितनी थी;                                                                                  | i) हैदरपुर फेज-I : 100 एम.जी.डी.<br>ii) हैदरपुर फेज-II : 116 एम.जी.डी.<br>iii) नांगलोई : 40 एम.जी.डी.<br>iv) चंद्रावल : 90 एम.जी.डी.<br>v) सोनिया विहार : 140 एम.जी.डी.<br>vi) भागीरथी : 110 एम.जी.डी.<br>vii) वजीराबाद : 131 एम.जी.डी.<br>viii) ओखला : 20 एम.जी.डी. |

|    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| च) | पिछले सात सालों में विभाग द्वारा कितने नए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाए गये और कितनी एमजीडी पानी की क्षमता दिल्ली की जनता के लिए बढ़ाई गई; | निम्नलिखित डब्ल्यूटीपी पिछले 07 वर्षों में चालू किए गए थे और एमजीडी में उनकी स्थापित क्षमताएं इस प्रकार हैं:<br>i) बवाना- 20 MGD<br>ii) द्वारका- 50 MGD<br>उपरोक्त से 70 एमजीडी क्षमता बढ़ाई गई है.                                                                                                                                                       |
| छ) | वर्ष 2015 से पहले कितने टैंकर दिल्ली जलबोर्ड के पास थे और आज कितने टैंकर हैं;                                                           | 2015 के पहले टैंकर की तैनाती के संबंध में कोई डेटा उपलब्ध नहीं है।                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ज) | दिल्ली के सभी घरों में कब तक नल व जल पहुंचेगा और कब दिल्ली टैंकर माफियाओं से मुक्त होगी;                                                | वर्तमान में दिल्ली की लगभग 97 प्रतिशत घरों को जल द्वारा पानी की सप्लाई की जा रही है।<br>इसके अलावा, शहर के अनियोजित विकास/अनधिकृत कॉलोनियों के तेजी से बढ़ने और पानी के असमान वितरण के कारण, शहर के कुछ हिस्सों में नल का पानी पाने के लिए बुनियादी ढांचा नहीं है। हालाँकि, दिल्ली जल बोर्ड सभी घरों में नल से पानी उपलब्ध कराने की पूरी कोशिश कर रहा है। |
| झ) | दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा घोषित पानी के बिल की माफी योजना अभी तक लागू न होने के क्या कारण हैं; और                          | यह अभी सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत किया जाना शेष है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ञ) | यह योजना कब तक लागू की जाएगी?                                                                                                           | सक्षम प्राधिकारी के निर्णय के अनुसार।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

  
निदेशक (प्रशासन एवं कार्मिक)

Cheshta Yadav, IAS

निदेशक (प्रशा. एवं कार्मिक)

Director (Admn. & Personnel)

दिल्ली जल बोर्ड, दिल्ली सरकार

Delhi Jal Board, Govt. of NCT of Delhi